रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, दिसम्बर 23—दिसम्बर 29, 2018, शनिवार/ पौष 2—पौष 8, 1940

No. 32] NEW DELHI, DECEMBER 23—DECEMBER 29, 2018, SATURDAY/ PAUSHA 2—PAUSHA 8, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन विभाग

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2018

का.नि.आ. 130.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'ख' (अनुसचिवीय पद) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय,समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति —

				(i) Bachelor Degree from a recognized University. (ii) two years experience in administration and accounts in Central or State Government or union territories administration **Note 1:-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**:- Period of deputation including period of deputation in another ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores) - Chairman, 2. Deputy Director General Armed Forces Medical Services(Planning) - Member, 3. Director or Deputy Secretary (Administrative Division Concerned), Ministry of Defence -Member **Group 'B' Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of:** 1. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores) - Chairman, 2. Deputy Director General Armed Forces Medical Services(Planning) - Member, 3. Director/Deputy Secretary (Administrative Division Concerned), Ministry of Defence -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 33069/Admin Staff/DGAFMS/DG-2B/483/RR/D(Apptt)/2018]

SSS SARMA, Director (Estt &CP)

(गुणता आश्वासन निदेशालय)

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2018

का.नि.आ.139.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह "ग" औद्यौगिक पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय समूह "ग" औद्यौगिक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह "ग" औद्यौगिक पद भर्ती नियम, 2012 में –

(1) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर —उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।" ;

(क) मास्टर क्राफ्टमैन के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में, इससे संबंधित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 6 (35400 - 112400 रू)"

(ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड-1, 5200-20200 रू + ग्रेड वेतन 2800 रू" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200 से 92300 रू)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

(iii) "टिप्पण 3" का लोप किया जाएगा।

(ख) तकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-I) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

"स्तर 5 (29200 - 92300 रू) "

(ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड-1, 5200-20200 रू + ग्रेड वेतन 2400 रू" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500 से 81100 रू)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

(iii) "टिप्पण 4" का लोप किया जाएगा।

(ग) तकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-II) के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

"स्तर 4 (25500 - 81100 रू) "

(ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड-1, 5200-20200 रू + ग्रेड वेतन 1900 रू" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900 से 63200 रू)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

(iii) "टिप्पण 4" का लोप किया जाएगा।

(घ) तकनीशियन (कुशल) के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

"स्तर 2 (19900 - 63200 रू) "

(ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड-1, 5200-20200 रू + ग्रेड वेतन 1800 रू" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000 से 56900 रू)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

(iii) "टिप्पण 3" का लोप किया जाएगा।

(ङ) तकनीशियन (अर्धकुशल) के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

" स्तर-1 (18000 - 56900 रू)"

(ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड-1, 5200-20200 रू + ग्रेड वेतन 1800 रू" शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000 से 56900 रू)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा सं. ए/86320/आर आर/औद्योगिक/डीजीक्यूए/प्रशासन-10/ /डी (क्यू ए)/2018]

आर राजेन्दर गौड़, अवर सचिव

टिप्पणः- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, तारीख 24 नवम्बर 2012 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 100 तारीख, 19 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए।

(Directorate General of Quality Assurance)

New Delhi, the 13th September, 2018

S.R.O.139 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' Industrial Posts Recruitment Rules, 2012, namely :-

1. **Short Title and Commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' Industrial Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' Industrial Posts Recruitment Rules, 2012,-

(1) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

"3. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule";

(2) in the Schedule,-

(a) against serial number 1, relating to the post of Master Craftsman, —

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

"Level in pay matrix
(4)
"Level 6 (Rs. 35400 - 112400)";

(ii) in column (11), for the words, figures and letter "the Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2800" , the words, figures, brackets and letters "level 5 (Rs. 29200 - 92300) in the pay matrix" shall be substituted;

(iii) "Note 3" shall be omitted;

(b) against serial number 2, relating to the post of Technician (Highly Skilled Grade-I),—

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: —

"Level 5 (Rs. 29200 - 92300)";

(ii) in column (11), for the words, figures and letters "the pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2400" , the words, figures, brackets and letters "level 4 (Rs. 25500 - 81100) in the pay matrix" shall be substituted;

(iii) "Note 4" shall be omitted;

(c) against serial number 3, relating to the post of Technician (Highly Skilled Grade-II),-

(i) in column (4), for entries, the following entries shall be substituted, namely: —

"Level 4 (Rs. 25500 - 81100)";

(ii) in column (11), for the words, figures and letters "the pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900", the words, figures, brackets and letters "level 2 (Rs. 19900 - 63200) in the pay matrix" shall be substituted;

(iii) "Note 4" shall be omitted;

(d) against serial number 4, relating to the post of Technician (Skilled), —

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: —

"Level 2 (Rs. 19900 to Rs. 63200)";

(ii) in column (11), for the words, figures and letters "the pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 1800", the words, figures, brackets and letters "level 1 (Rs. 18000 - 56900) in the pay matrix" shall be substituted;

(iii) "Note 3" shall be omitted.

(e) against serial number 5, relating to the post of Technician (Semi-Skilled), —

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: —

"Level 1 (Rs. 18000 - 56900)";

(ii) in column (11), for the words, figures and letters "the pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 1800", the words, figures, brackets and letters "level 1 (Rs. 18000 - 56900) in the pay matrix" shall be substituted.

[F. No.A/86320/RR/Industrial/DGQA/Adm-10/ /D(QA) /2018]

R RAJENDAR GOUD, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide notification number S.R.O. 100 dated the 19th November, 2012 in the Gazette of India, Part-II, Section-4, dated the 24th November , 2012.

नई दिल्ली,13 सितम्बर, 2018

का.नि.आ.140.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय (समूह 'ख') रेखाचित्र भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय (समूह 'ख') रेखाचित्र भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।